

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बुलन्दशहर।

प्रेष्य,

प्रबन्धक,
लीलावती पब्लिक स्कूल, भईपुर दोराहा,
अनूपशहर-बुलन्दशहर रोड भाईपुरा दोराहा, जिला-बुलन्दशहर

पशंक/शि०स०/मान्यता/ 746-49 /2016-17 दिनांक - 10-5-16

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.08.2015 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं लीलावती पब्लिक स्कूल, भईपुर दोराहा, अनूपशहर-बुलन्दशहर रोड भाईपुरा दोराहा, जिला-बुलन्दशहर को तारीख 01.04.2016 से तारीख 31.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 26.04.2016 के प्रस्ताव संख्या में व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की सस्तीचा देता हूँ।


उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठ के पश्चात् मान्यता/ संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपांग 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपांग 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलरशिप प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्याधीन नहीं किया जाएगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित व्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर व्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी व्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और;
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

(2)

8. विद्यालय अधिनियम की घारा 19 में विद्यालिंगिट्ट विद्यालय के नामकों और संविधानों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुनियाएं निम्नानुसार हैं:-
- | | |
|---|------------------|
| विद्यालय परिसर का बोर्डफल | - 2529 वर्ग मीटर |
| कुल निर्भित क्षेत्र | - 771.12 फिट |
| कीड़ा-स्थल का बोर्डफल | - |
| कक्षाओं की संख्या | - 14 |
| प्राच्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडगार के लिए कक्ष - | 3 |
| बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय | - उपलब्ध है |
| पेशजल सुविधा | - उपलब्ध है। |
| मिठ-डे मील पकाने के लिए रसोई | |
| बाधारहित पहुंच | |
- अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूट उपस्कर्ता/पुस्तकालय की उपलब्धता
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कराए जाए चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय अवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकूट किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा घलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं घलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी घार्ड, अकाउटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या- अंग्रेजी अस्वाई नंसरी १ जूनियर-२ है। कृपया इसे बोर्ड कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राधार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपांग के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. प्रत्येक कक्ष कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आघार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।
19. विद्यालय में शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में विधारित की गयी अहंता के अनुसार की जाये।
20. मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संझानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

अधीकारी


(विद्यालय) २०१६-१७

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बुलबद्दशहर

पृ० सं०/शि० सं०/

/2016-17 तदृदिनांक -

प्रतिलिपि-

- संबुक्त शिक्षा निदेशक, प्रथम मण्डल मेरठ।
- सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड/बगर क्षेत्र अनुपशहर
- कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बुलबद्दशहर